

## न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी

आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम एयू फाईनेन्सर्स इण्डिया लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर 302001 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रदीप बोहरा		1. लालाराम पुत्र मगाराम निवासी वासली सेरी भैसवाडा जिला जालोर दूसरा पता पट्टा नंबर 8 मिसल नंबर 8 ग्राम पंचायत भैसवाडा पंचायत समिति आहोर 2. श्रीमती बदामी देवी पत्नि लालाराम निवासी वासली सेरी भैसवाडा जिला जालोर 3. भारतकुमार पुत्र किशोरमलजी जैन गोशाला के पास राजेन्द्र नगर आहोर जिला जालोर

विविध प्रकरण संख्या

18/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

.....

अधिवक्ता:-

1-श्री चन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:-31.07.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक की ओर से प्रार्थना-पत्र में लिखा गया कि एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू.फाईनेन्सर्स (इंडिया लिमिटेड) के नाम से जाना जाता था) जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिये लाईसेन्स प्राप्त है। जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर 302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रदीप बोहरा है। वह रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना-पत्र के सभी तथ्यों से भी परिचित है। वह उनको प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड कार्यालय की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हे प्रार्थना पत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

अप्रार्थी संख्या 1 से 2 द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 12.06.2017 को 10,00,000/-रूपये (अक्षरे दस लाख रूपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

बंधक सम्पत्ति का विवरण:- लालाराम पट्टा नंबर 8, मिसल नंबर 8, ग्राम पंचायत भैसवाडा, पंचायत समिति आहोर, जिला जालोर राज. बनाप 546.42 वर्ग गज, चर्तुसीमाएँ :-पूर्व में:-किरणराज का प्लोट, पश्चिम में:-मोहनलाल का मकान, उत्तर में:-मोहनलाल का मकान, दक्षिण में:-रोड़।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और ऋण भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 30.09.2018 को उक्त ऋण खाते का अक्रियान्वित आस्ति (Non Perforance Asset) में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 10,96,974/- रुपये दिनांक 03.12.2018 तक शेष देय है। प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 04.01.2018 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्हे देय राशि का भुगतान प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड को नहीं दिया। नोटिस मय पोस्टल रसीदें प्राप्ति स्वीकृति की प्रति संलग्न है। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया। विपक्षीगण द्वारा न तो अदायगी की गई एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की। अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। इस उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्यूरिटी दृष्टिबंधक

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लिखा कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अप्रार्थिगण की चल संपत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इम्दाद अप्रार्थिगण से प्राप्त कर प्रार्थी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 04.12.2018 को समस्त अप्रार्थिगण को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनों में 10,96,974/- (अक्षरे रूपये दस लाख छिन्नु हजार नौ सौ चाहोतर रूपये मात्र) जिसमें दिनांक 03.12.2018 तक का ब्याज सम्मिलित है। अप्रार्थिगण ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के व अखबार में प्रकाशित करने के बावजूद बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है।

**वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002** की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- (1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

(2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपत्तियों, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना आहोर को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जालोर

